



2026:AHC: 17230

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 44497/2025

सलीम उद्दीन

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : नरेंद्र कुमार यादव, राज नाथ भक्त

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : आज़ाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-2

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।

3- याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका में माँगी गई, मूल राहत प्रत्यर्थी संख्या 2-तहसीलदार, सोरांव, प्रयागराज को दिनांक 10.10.2025 के पुनर्स्थापना आवेदन का शीघ्रता से निर्णय करने का निर्देश देने के लिए है।

4- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि पर्याप्त समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5- वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका का निस्तारण संबंधित न्यायालय को उपरोक्त पुनर्स्थापना आवेदन का विधि के अनुसार कड़ाई से, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः दो माह की अवधि के भीतर निर्णय करने का निर्देश देते हुए किया जाता है, लेकिन बिना किसी विधिक बाधा के अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

22 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।